

**कार्यालय आबकारी, मनोरंजन एवं विलासता कर  
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार  
एल ब्लॉक, विकास भवन, दिल्ली-110002**


**तारीखित प्रश्न संख्या :- 107**

**दिनांक :- 26.03.2018**

**प्रश्नकर्ता का नाम :- श्री रामचंद्र**

**क्या उपमुख्यमंत्री / मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:-**

| प्रश्न  | उत्तर  |
|---|--|
| (क) क्या आबकारी नियमों में संशोधन करने का सरकार का कोई प्रस्ताव है,   | अभी ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।  |
| (ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में विभिन्न हिस्सेदारों जैसे दिल्ली महिला आयोग, दिल्ली शिशु अधिकार संरक्षण आयोग से परामर्श किया गया है, | उपरोक्तानुसार।   |
| (ग) यदि हां, तो इन बैठकों का इनमें मौजुद रहें अधिकारियों सहित पूर्ण विवरण क्या है,  | लागू नहीं।   |
| (घ) यदि नहीं तो क्या सरकार का इस प्रकार का परामर्श करने का कोई प्रस्ताव है,   | जी नहीं।   |
| (च) क्या सरकार का इस संबंध में आम जनता से परामर्श करने का कोई प्रस्ताव है, और   | दिल्ली में शराब तथा अन्य मादक पदार्थों के विनिर्माण का विनियमन, नियंत्रण एवं आवेक्षण, विनिर्माण कब्जा, आयात, निर्यात, दुलाई, बिक्री तथा उपयोग दिल्ली आबकारी अधिनियम, 2009, दिल्ली आबकारी नियम, 2010, के अनुसार किया जाता है। |
| (छ) यदि हां, तो इसका विवरण क्या है?   | उपरोक्तानुसार  |



## पूरक सामग्री

विगत में दिल्ली आबकारी नियम, 2010, के नियम 22(2) में संशोधन के लिए कैबिनेट के अनुमोदन के पश्चात प्रस्ताव चलाया गया था परन्तु विधि एवं न्याय, विभाग की राय के बाद अवेयेंस में हैं। विधि विभाग ने अधिनियम में समुचित प्रावधान ना होने के कारण संशोधन के प्रस्ताव को अनुमोदित नहीं किया।